DR Krishnadeo kumar bharti
Assistant professor (G.T)
Dept of Political science
C.M.j College Donwarihat
Khutauna, Madhubani
E-mail--Kdkbharti08@gmail.com
B.A.Part-2 Paper--3-Date-25-07-2020
Mo.No--9234999361.

प्रस्तावना भारतीय संविधान की नींव का ईट है। संविधान में प्रस्तावना के महत्व के संदर्भ में इस कथन का वर्णन करें।

हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्ता सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने और इसके सभी नागरिकों को, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब मे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनाक *26* नवम्बर *1949* ई०को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

संविधान *42* वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़ दिए गए, जो इस प्रकार हैं--"सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य"के स्थान पर सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी गणराज्य शब्द और राष्ट्र की एकता के स्थान पर, राष्ट्र की एकता और अखण्डता, शब्द जोड़ दिया गया है।

इस तरह, धर्म निरपेक्षता, समाजवाद, और राष्ट्रीय अखण्डता को मूल प्रस्तावना में जोड़कर संविधान के महत्व को बढ़ा दिया गया है।

संविधान की प्रस्तावना के शब्दों, उनके अर्थो व उद्देश्यों से, प्रस्तावना की महत्ता स्वयं स्पष्ट हो जाता है।निःसंदेह"प्रस्तावना संविधान का अमूल अंग है और संविधान की कुँजी है।"जहाँ संविधान की किसी अस्पष्ट धारा की व्याख्या करने की आवश्यकता हो .वहाँ यह प्रस्तावना सहायता करती है, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शास्त्री ने "गोपालन बनाम मद्रास राज्य"के मुकदमे में कहा था कि धारा *22(5)*की जो व्याख्या मैंने की है उसका समर्थन संविधान की प्रस्तावना में अभिव्यक्त शब्दों में होता है।यह प्रस्तावना हमारे संविधान को उत्कृष्ट रूप प्रदान करती है।"यह प्रस्तावना न केवल इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें शासन की समस्त शक्तियों का श्रोत जनता को बताया गया है, वरन् प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों और उद्देश्यों को स्पष्ट करती है, जिसमें संविधान के पालन मे उनमें अन्तर्निहित भावना का उल्लंघन न हो।भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करने से पहले यह स्पष्ट होता है कि इसके अन्तर्गत उदारवाद तथा समाजवाद दोनों का सम्मिश्रण है।

संक्षेप में निष्कर्षतः आजतक अंकित इस प्रकार के प्रयोगों में भारतीय संविधान की प्रस्तावना सर्वोत्तम है, अतः इस संविधान का प्रस्तावना कहा जाता है।भारतीय संविधान में प्रस्तावना की व्यवस्था की गई है।कई अन्य देशों के संविधान में भी प्रस्तावना की व्यवस्था है जैसा कि अमेरिका फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जापान आदि के संविधान में।प्रस्तावना से संविधान के श्रोत, मूल उद्देश्यों,शासन के स्वरूप आदि का पता चलता है।

कुछ लोग यह समझते हैं कि प्रस्तावना का कोई महत्व नहीं क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है और न्यायपालिका इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं करती। शासन व्यवस्था संविधान की धाराओं के अनुसार चलती है, प्रस्तावना के अनुसार नहीं।

परन्तु वास्तविक स्थिति यह नहीं है।संविधान का अपना ही महत्व है और इसे अर्थहीन नहीं कहा जा सकता।सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानन्द भारती नामक निर्णय मे इसे महत्त्वपूर्ण माना है क्योंकि यह संविधान का सार बताती है और संविधान की धारणा तथा अनुबंध इसी के अनुरूप बनाए जाते हैं।इसका महत्व निम्नलिखित बातों से स्पष्ट है-----

*1.*यह संविधान का दर्शन है----प्रस्तावना संविधान का दर्शन है जिस पर समस्त संविधान आधारित है।प्रस्तावना में वर्णित सिद्धन्तों की पूर्ति के लिए ही संविधान के विभिन्न अनुबंध, धाराएँ तथा भाग आदि की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार वह संविधान का सार है, मूल आधार है।

2. संविधान की व्याख्या में मार्गदर्शक----प्रस्तावना संविधान अंग तो नहीं, परन्तु उसकी व्याख्या के लिए मार्गदर्शन अवश्य करती है।जब विधानमंडल किसी नए कानून का निर्माण करता हो या संविधान में संशोधन करता हो या न्यायालय को जब संविधान की व्याख्या करती हो तो उन्हें इन कार्यों में प्रस्तावना से बहुत सहायता मिलती है और दिए गए उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें ऐसा करना चाहिए।यह तो ठीक है कि प्रस्तावना का आधार पर न्यायपालिका किसी कानून का संविधान की धारा को अवैध घोषित नहीं कर सकती,परन्तु संविधान की व्याख्या में वह अवश्य लाभदायक सिद्ध होता है।

3. प्रस्तावना संवैधानिक साहित्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है----भारतीय संविधान की प्रस्तावना संसार भर के संविधानों में अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है।इसमें प्रयोग किए गए शब्द बड़े सोचविचार के बाद लिये गए है जो न कम है न अधिक।एक शब्द भी बेकार नहीं है। प्रस्तावना भारतीय जनता की आकांक्षाओं व आशाओं की पूर्ण अभिव्यक्ति करती है और कोई बात छूटी भी प्रतीत नहीं होती।इसलिए यह भी संवैधानिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण नमूना है।

आगे, धन्यवाद।

2020-07-25
From vivo Note

Scanned with CamScanner